न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी R-3866-II/16

बालकिशन गेहर, पुत्र छोटेरी गेहर,
निवासी ग्राम मीतमपुरा (जूर) तहसील
कोलारस जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

विरुद्ध

लटू पुत्र बैरू सेहरिया, निवासी ग्राम गुढ़ा,
तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी-म०प्र० ।

------ प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश एवं कार्यवाही तहसीलदार महोदय, कोलारस जिला शिवपुरी दिनांकी २६-१०-१६, अन्तर्गत धारा ५०- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता,१९५९ सहपठित धारा ८ । प्र०क्र० ५०। १५-१६-बी-१२१ ।

श्रीमान् जी,

प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में की जा रही कार्यवाही कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, जब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट रूप से आ चुका है कि अपर आयुक्त महोदय के प्र०क्र० [illegible] १३ अपील में पारित आदेश दिनांकी २६-११-१४ के [illegible] वर्तमान में माननीय इस न्यायालयमें निगरानी प्र०क्र० [illegible] १५ के रूप में विचाराधीन होकर लम्बित है,तथा इस माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख एवं पक्षकार आहूत [illegible] जाने के आदेश दिये गये हैं, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त [illegible] का आदेश दिनांक २६-११-१४ अभी अंतिम नहीं हुआ है, [illegible]

क्रमशः—२

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./3866/दो/2016 जिला शिवपुरी

बालकिशन सेहर विरूद्ध लटू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार कोलारस, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक-501/2015-16/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 23/10/2016 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	